



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या - 01, सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

पत्रांक : ग्रेटर नोएडा / सम्पत्ति / 2017/6047
दिनांक : 03.11.2017

“के – 3 : आवेदक / आवंटी / पट्टाधारक द्वारा पर्जीकरण / आवंटन/ पटटे की नियम व शर्तों के तोड़ने / उल्लंघन करने और / अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।”

उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2 व 3) के अन्तर्गत, निरस्तीकरण की दशा में , निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खण्ड मय ढांचे के, यदि कोई है , तो प्राधिकरण / पट्टाधारक द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी , और आवंटी / पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

आवंटन पत्र में उल्लिखित देय आवंटन धनराशि जमा ना किये जाने की दशा में बोशर का क्लॉज “के – 3 : आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पर्जीकरण/आवंटन/ पटटे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।”, लागू हो जाता है ।

अतः बोशर का क्लॉज “के – 3 के आधार पर आवंटन राशि जमा न करने की दशा में बोशर के उप प्रस्तर (3) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 18.09.13 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 31.10.2017 के कम निरस्त जाता है तथा आवंटन के विरुद्ध दिनांक तक जमा की गयी समस्त धनराशि प्राधिकरण पक्ष में जब्त की जाती है ।

भवदीय

१५/३/१८

प्रबन्धक - I (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि :

- महाप्रबन्धक (वित्त / सिस्टम) के अवलोकनार्थ .

प्रबन्धक - I (सम्पत्ति)

Introducción - 4

The Cancellation terms as per Clause K of the brochure shall be applicable.

"Allocation Money shall be payable within 45 days from the date of allotment. In case the allottee fails to deposit the allotment money within 45 days from the date of allotment, the allottee shall be liable for cancellation and the money deposited till the date of cancellation will be forfeited.

प्राचीन विद्या / प्राचीन विद्या सेक्टर-10, गोपनीय 29.76 विधान सभा क्षेत्र

Sh. Monkeshwar Nath Tiwari
J-35, Sector-22
Noida

Առաջին Առաջ Գոյւթեալ Տակ Հայ

